न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 70/2021 प्रार्थना पत्र

राधेश्याम पिता किशनलाल, जाति धाकड़, आयु 44 साल, निवासी बांगेडा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

— प्रार्थी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

— विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

<u>श्री रामेश्वरलाल धाकड़, अधिवक्ता वादी</u>

<u>पैरोकार सरकार, नायब तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपस्थित</u>

निर्णय दिनांक 07.02.2022

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी संस्थान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा बांगेडा घाटा की वर्तमान आराजी नं. 1023 रकबा 0.4300 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी नं. 510/6 रकबा 2 बीघा थे। इसी प्रकार आवंटन दिनांक से काबिज वर्तमान आराजी नं. 1245 रकबा 24.34 हैक्टेयर जिसके साबिक पुराने आराजी नं. 549 मीन रकबा 112 बीघा 11 बिस्वा है। मूल साबिक आराजी नं. 510/6 रकबा 2 बीघा जिसके वर्तमान आराजी नं. 1023 रकबा 0.4300 हैक्टेयर है जो कि खातेदार मांगीलाल पिता हेमराज कुम्हार व उसकी पत्नी बगदी बाई को संयुक्त रूप से आवंटन की गई थी तथा मौके पर कब्जा भी सौंपा गया था परन्तु मौके पर कब्जा साबिक आराजी नं. 549 मीन पर सौंपा गया। उसी अनुसार मौके पर आवंटी मांगीलाल व उसकी पत्नी बगदीबाई का संयुक्त कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है। पूर्व खातेदार मांगीलाल व उसकी पत्नी बगदी बाई ने उक्त आवंटनशुदा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रार्थी को विक्रय कर मौके पर कब्जा सिपूर्द कर दिया, तभी से प्रार्थी का कब्जा वर्तमान आराजी नं. 1245 रकबा 24.3400 हैक्टेयर के 0.4300 हैक्टेयर भाग पर चला आ रहा है। वर्तमान में प्रार्थी ने इस भूमि पर मुंगफली बो रखी है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने विपक्षी को कब्जे अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया तो विपक्षी टाल चाल कर रहे हैं इसलिए मजबुरन प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा कब्जे अनुसार 510/6 रकबा 2 बीघा जिसके नवीन आराजी नं. 1023 रकबा 0.4300 हैक्टेयर है को बिलानाम सरकार दर्ज

किया जावे तथा आराजी नं. 549 मीन जिसके नवीन नम्बर 1245 है में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी पैरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कब्जे अनुसार तरमीम किये जाने में सहमति प्रकट की तथा प्रार्थी के कथनों को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने राजस्व रेकार्ड में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम बांगेडा घाटा की खाता संख्या 392 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस आराजी नं. 1023, ग्राम बांगेडा घाटा का नक्शा ट्रेस, नामान्तरकरण संख्या 1326 ग्राम बांगेडा घाटा, ग्राम बांगेडा घाटा की नकल जमाबन्दी 2071–74 की खाता संख्या 1, मिलान क्षेत्रफल ग्राम बांगेडा घाटा की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11.11. 2021 कि माध्यम से मौके अनुसार संशोधन प्रस्तावित किये हैं जो स्वीकार योग्य है। प्रार्थी विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार है तथा भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौके अनुसार संशोधन प्रस्तावित किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं:–

क्र. सं.	वर्तमान प्रविष्ठी			प्रस्तावित संशोधन		
	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	नाम खातेदार
1	1023	0.43	राधेश्याम पिता किशनलाल धाकड, निवासी बांगेडा घाटा	1023	0.4300	बिलानाम सरकार
2	1245	23.04	बिलानाम सरकार	1245	0.43	राधेश्याम पिता किशनलाल धाकड, निवासी बांगेडा घाटा
				1245	22.61	बिलानाम सरकार

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 07.02.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा